योजना का नाम	पुत्री विवाह आर्थिक सहायता
लाभ	रू0 51 हजार प्रति विवाह (दो पुत्रियों/स्वयं के विवाह हेतु)।

पात्रता/लाभार्थी

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनकी 2 पुत्रियों के विवाह हेतु।

आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया

आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, श्रमिक का बैंक खाता, शादी का कार्ड, वर–वधू के आधार कार्ड तथा विवाह होने के उपरांत पंजीकरण प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र तथा स्वघोषणा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन विवाह की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।

9- अपनी आश्रित दो पुत्रियों के विवाहोपरान्त तथा महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाहोपरान्त 51,000 की आर्थिक सहायता बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट शर्तों के अधीन। **(उक्त लाभ हेतु निर्माण श्रमिक द्वारा विवाह की तारीख से 02 माह के भीतर सचिव कल्याण बोर्ड के कार्यल्य में श्रम प्रवर्तन अधिकारी / पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)**